कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

संख्या 16631-780 हिंदी/केन्द्रीय/238/2020 दिल्ली दिनांक 14 SEP 2020

समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) न्यायालय, दिल्ली
एवं
समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारीगण
और प्रिय प्रशासकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण,
केन्द्रीय जिला, तीस हज़ारी न्यायालय,
दिल्ली।

**संदेश**

*हिन्दी दिवस*

*14 सितम्बर, 2020*

***"हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2020*** *के पावन अवसर पर जिला न्यायालय दिल्ली परिवार के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।*

*भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है । हिन्दी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रुप में विशेष भूमिका निभाती आ रही है। हिन्दी भाषा हमारी पहचान और परिभाषा है। अब कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरुप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है । राजभाषा के रुप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि विगत वर्षों में जिला न्यायालय, दिल्ली के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग उल्लेखनीय रुप से बढ़ा है।*

*आइए,* ***हिन्दी दिवस*** *के पावन अवसर पर राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनों रुपों में हिन्दी के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें एवं अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।*

GIRISH KATHPALIA
Digitally signed by GIRISH KATHPALIA
Date: 2020.09.14 15:32:29 +05'30'

*गिरीश काठपालिया*
*प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)*
*तीस हज़ारी न्यायालय, दिल्ली*